न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर–ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार (आर.ए.एस.)
प्रार्थना पत्र संख्या :– 04/2024

शीर्षक

1. मनीष व्यास पुत्र श्री बोदूराम व्यास निवासी ग्राम शेरपुरा तह. शाहपुरा, जिला जयपुर राज.

–प्रार्थी

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांकः– 14/6/2024

प्रकरण में संक्षेप्त में इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नं. 2511/1 रकबा 1.00 हैक्टर किस्म गै. मु. आबादी ग्राम शेरपुरा तहसील शाहपुरा में स्थित है उक्त भूमि में करीब 50 वर्षो से अधिक समय से बालाजी महाराज का मन्दिर, धर्मशाला व पुजारी निवास बना हुआ है उक्त सम्पूर्ण भूमि वर्तमान में भी मन्दिर, पुजारी निवास व धर्माशाला के रूप में काम आ रही है। उक्त ख. नं. 2511/1 का वर्तमान नक्शा गलत बना हुआ है तथा रिकोर्ड में नक्शे में वरवक्त सेग्रीगेशन तरमीम गलत हो गई है जिससे मन्दिर की दक्षिण भाग की भूमि के पास में स्थित ख नं. 2531 की भूमि तरमीम हो गई है उक्त तरमीम की प्रार्थी को जानकारी होने पर तहसीलदार शाहपुरा को तरमीम दुरस्ती हेतु दिनांक 07.08.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया उक्त प्रार्थना पत्र को तहसीलदार महोदय ने पटवारी हल्का को जांच हेतु प्रेषित किया जिसमें पटवारी हल्का ने ख. नं. 2511/1 की प्रस्तावित तरमीम प्रेषित की है। यह कि राजस्व रिकोर्ड नक्शा में दुरूस्ती का अधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है इसलिये मुताबिक रिपोर्ट 07.08.2023 कार्यालय तहसीलदार शाहपुरा उक्त भूमि की तरमीम दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। उक्त प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर पेश है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ख.नं. 2511/1 की राजस्व रिकोर्ड नक्शा में तरमीम दुरूस्त करने की कृपा करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये एवं तहसीलदार शाहपुरा को प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2024 /2925 दिनांक 11.06.2024 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की गयी। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । अवलोकन से जाहिर होता है कि ग्राम शेरपुरा तहसील शाहपुरा के आराजी खसरा नम्बर 2511/1 रकबा 1.00 हैक्टयर किस्म गै०मु० आबादी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त गै०मु० आबादी खसरा नम्बर 2511 से मुताबिक आदेश नामान्तकरण संख्या 226 दिनांक 11.10.2002 से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। मौके पर मन्दिर तथा आबादी है जो कि सेग्रीगेशन के बाद की तरमीम में उक्त आबादी खसरा नम्बर 2511/1 में नही आ रही है। नामान्तकरण संख्या 226 के पुस्त के पीछे नक्शा नही बना हुआ है। तथा ना ही नामान्तकरण के साथ नक्शा संलग्न है। उक्त तरमीम की दुरूस्ती के पश्चात् उक्त आबादी तथा मन्दिर गै०मु० आबादी हो सकते है।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट में प्रस्तावित नक्शे अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना–पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.ए. स्वीकार फरमाया जावे।

वकील प्रार्थी को सुना गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत नक्शे में तरमीम

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर–ग्रामीण)

दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.ए. स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजात व तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी/तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नंबर 2511/1 रकबा 1.00 है0 वाकै ग्राम शेरपुरा तहसील शाहपुरा की भूमि का नक्शे में तरमीम निर्णय के संलग्न प्रेतिप्रेषित दुरूस्ती प्रस्ताव/रिपोर्ट अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में किया जाना सुनिश्चित करे। इसे आशय का तहसीलदार शाहपुरा को पत्र जारी हो। पत्रावली दर्ज नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक ....14/6/2024.... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(अशोक कुमार)
उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा
जिला जयपुर, ग्रामीण
शाहपुरा (जयपुर–ग्रामीण)